"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2003—श्रावण 3, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 10-3/2003/1/3.—राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित पदनाम उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री के स्थान पर परिवर्तित पदनाम उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता प्रचलन में लाया जावे. पदनाम परिवर्तन के बाद भी इनका वेतनमान पूर्ववत् रहेगा.

2. संबंधित विभाग भरती नियमों में उपरोक्तानुसार पदनाम संशोधन करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर इस विभाग को अवगत करायें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक 3-12/2003/1/एक.—राज्य शासन श्री अरूण कुमार,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल एवं (अध्यक्ष, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ के मंत्री के समान् वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री अरूण कुमार, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल को जो सुविधाएं दी जा रही है, पर होने वाला व्यय वित्त (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) के मद से किया जावेगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 334/OR/86/B-5/1/03 दिनांक 4-7-2003 द्वारा महालेखाकर, छत्तीसगढ़, रायपुर, को पृष्ठांकित की गई.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक एफ-6-6/2002/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम, 2003 से संबंधित अधिसूचना को दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को जारी किया गया. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

अधिसूचना की श्रेणी-दो के अनुक्रमांक-16, जिसमें "लोक सभा/राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष" का उल्लेख है, को विलोपित करते हुए यह प्रविष्टि अधिसूचना के श्रेणी-एक के सरल क्रमांक-6 के पश्चात् "सरल क्रमांक-6-ए" के रूप में अन्तर्स्थापित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक 4143/2003/विधि.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की पारित की गई अधिसूचना क्रमांक 2861/2003/विधि/रायपुर, दिनांक 26-4-2003 में निम्नलिखित संशोधन करता है.

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द "केवल निर्धारित" के स्थान पर शब्द "निश्चित" स्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2003

क्रमांक 4218/1721-21-ब/छ. ग./03.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 129/दो-2-16/2001/गोपनीय/2003, दिनांक 24-4-2003 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिनियुक्ति पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायपुर के पद पर नियुक्त श्री सन्मान सिंह, की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु सौंपी जाती है.

कृपया तद्नुसार श्री सन्मान सिंह की पदस्थापना किये जाने का कष्ट करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2003

क्रमांक 4364/1413/21-ब (छ. ग.)/2003.—नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुए रायपुर जिले के बिलाईगढ़ तहसील के लिये नोटरी के 1 नये पद वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2003

क्रमांक 3242/एफ 73-70/2003/उ.शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "बी एल एस विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस

विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "बी एल एस विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 18th July 2003

No. 3242/F-73-70/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh hereby, establishes a university known as "BLS UNIVERSITY, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "BLS UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2003

क्रमांक 3240/एफ 73-70/2003/उ.शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "गुरूकुल विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "गुरूकुल विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 18th July 2003

No. 3240/F-73-70/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh hereby, establishes a university known as "GURUKUL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "GURUKUL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक 11-7-एफ-16/2003.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (2000) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया जाता

है कि समस्त आई. सी. आई. सी. आई. बैंक शाखाएं जो समस्त छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में स्थित हैं को धारा 13 की उपधारा (1) की एवं (2) के अधीन शर्तें तथा प्रतिबंधों से पूर्णत: छूट दी जाती है. किन्तु कर्मचारियों को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी.

Raipur, the 28th March 2003

No. 11-7-F-16/2003.—In exercise of the power conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the C. G. Shops & Estts. Act, 1958 (2000) the State Government hereby exempt All Branches of I.C.I.C.I. Banks located in the State of Chhattisgarh the operation of the Sub-section (1) & (2) of the Section 13 of the said Act. Provided every employee shall be allowed a paid weekly holiday.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक एफ 11-3/16/2002.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ई-4/2/2000/16 ए, दिनांक 1-11-2000 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्री एस. आर. दुग्गा को उक्त अधिनियम के अंतर्गत "रजिस्ट्रार ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह यूनियन" नियुक्त करता है.

Raipur, the 4th June 2003

No. F 11-3/16/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of Sub-section (1) of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby super eding the previous notification No. F-E-4/2/2000/16-A, dated 1-11-2000 and appoints Shri S. R. Dugga to be the "Registrar of Representative Union" of the State of Chhattisgarh in relation to Madhya Pradesh Industrial Relation where objects are confired to the State.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक F 11-13/16/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार (सेवा नियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 (क्र. 27 सन् 1996) की धारा 4 की उपधारा (1) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार राज्य सलाहकार समिति का गठन करती है जो कि राज्य शासन को उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाले प्रशासनिक विषयों पर सलाह देगी.

(अ)	मान. श्रम मंत्री	अध्यक्ष
(ब)	विधान सभा के दो सदस्य 1. श्री योगेश्वरराज सिंह 2. श्री डोमेन्द्र सिंह भेड़िया	सदस्य
(स)	केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित एक सदस्य.	सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कुण्डा बिल्डिंग तोरवा-नाका, बिलासपुर.
(द)	मुख्य निरीक्षक	सदस्य
(ई)	1. श्री ए. के. दुबे, अभियंता, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर.	सदस्य
	2. श्री तरल मोदी, मेसर्स आरती कंस्ट्रक्शन्स, खम्हारडीह, रायपुर.	नियोजक-सदस्य
	3. श्री यू. सी. जैन सिविल कॉन्ट्रेक्टर, शंकर नगर, रायपुर.	नियोजक-सदस्य
	4. श्री रोबिन दत्ता, भिलाई.	श्रमिक सदस्य
	5. श्री धर्मराज महापात्र टिकरापारा, रायपुर.	श्रमिक सदस्य
	6. अध्यक्ष, वास्तुविद् संघ रायपुर.	सदस्य
	7. प्रबंधक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं. मदिना बिल्डिंग, रायपुर.	सदस्य

Raipur, the 4th June 2003

No. F 11-13/16/2002.—In exercise of powers con-

ferred by Section 4 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Govt. hereby consitute following State Advisory Committee, to advice the State Government on such matters arising out of the administration of this act as may be refered to it :—

(A) Labour Minister — Chairperson

(B) Two members of the State legislature (Nominated by chairperson) — Member

1. Shri Yogeshwerraj Singh
2. Shri Domendra Singh Bhedia

(C) A member nominated by the Central Govt. :—

1. Assistant Labour Commissioner (Central) Kunda Building, Torba Naka, Bilaspur-495 001.

(D) The Chief Inspector — Member

(E) 1. Shri A. K. Dubey Engineer. — Member

2. Shri Taral Modi M/s. Arti Const. Raipur. — Employer-member

3. Shri U. C. Jain Civil Contractor, Shankar Nagar, Raipur. — Employer-member

4. Shri Robin Dutta Bhilai. — Building Worker

5. Shri Dharmraj Mahapatra, Tikra Para, Raipur. — Building Worker

6. President, Association of Architects. — Member

7. New India Insurence Company (Accident Insurence Institution) — Member

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक एफ 11-5/16/03.—छ. ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट सचिव, सीमेंट वर्क्स यूनियन (सीटू) 25/45 ब्राम्हणपारा, रायपुर एवं उपाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासन) ग्रासिम सीमेंट (पो. रावन) तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

"अनुसूची"

औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/सी, जी, आई, आर/2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक 2990/3744/18/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

1. उक्त नियमों में नियम 90 के उपनियम (2) में जहां कहीं भी अंकों या शब्दों में रुपये दो हजार पांच सौ अंकित हैं, उसके स्थान पर रुपये पचास हजार स्थापित किया जाए तथा जहां कहीं भी रुपये एक हजार पांच सौ अंकित हैं, उसके स्थान पर रुपये पच्चीस हजार स्थापित किया जाए.

Raipur, the 24th June 2003

No. 2990/3744/18/2003.—In exercise of the powers conferred under Section 356 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State

Government, hereby makes following amendments in Chhattisgarh Nagarpalika Lekha Niyam, 1971. namely :—

AMENDMENT

1. In said Rules, in sub-rule (2) of Rule 90, wherever in words or numbers Rupees Two thousand five hundred is written Rupees Fifty thousand shall substituted and wherever in words or numbers Rupees One thousand five hundred is written Rupees Twenty five thousand shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अल्ताफ अहमद, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 5131/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न पूर्वक अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बागुर प.ह.नं. 13	0.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही जलाशय के अंतर्गत कालेगोंदी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा तथा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 5132/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न पूर्वक अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	धोधा प.ह.नं. 14	5.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही जलाशय के अंतर्गत कालेगोंदी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा तथा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 5133/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न पूर्वक अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	कालेगोंदी प.ह.नं. 14	2.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही जलाशय के अंतर्गत कालेगोंदी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा तथा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 5134भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न पूर्वक अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	मरदकठेरा प.ह.नं. 14	1.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही जलाशय के अंतर्गत जगमड़वा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा तथा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक 5609/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न पूर्वक् अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मातेखेड़ा प.ह.नं. 51	0.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	धरमूटोला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा तथा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. एवं भू-अर्जन अधिकारी, का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अम्बिकापुर, दिनांक 2 जून 2003

रा. प्र. क्र. 16/अ-82/भू-अर्जन/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उपधारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	लॉची	0.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, सूरजपुर.	लॉची जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय,कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/247.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	लटियाडीह प.ह.नं. 5	2.123	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय,कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 692/अ.वि.अ./भू-अर्जन/42-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	भलेसर प.ह.नं. 143	1.73	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	भलेसर व्यवपवर्तन योजना के अंतर्गत फिडर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 693/अ.वि.अ./भू-अर्जन/27-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कलमीदादर प.ह.नं. 122	0.24	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.)	दाबपाली जलाशय के माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 694/अ.वि.अ./भू-अर्जन/22-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बिरकोनी प.ह.नं. 139	0.03	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	कोडार जलाशय परियोजना के बिरकोनी माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 695/अ.वि.अ./भू-अर्जन/44-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कोटरीपानी प.ह.नं. 109	0.54	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	कोटरी जलाशय क्र. 1 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 696/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खरोरा प.ह.नं. 140	0.48	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.)	कोडार जलाशय के अंतर्गत खरोरा माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बायंग, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.989 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
350/2	0.076
874/2	0.134
380/1 ख,	0.020
380/1 ग	0.028
835/4	0.146
938/7	0.053
1003/6	0.172
1003/7	0.172
1003/8	0.172
1013/4	0.016
योग 9	0.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना अंतर्गत रानी गुड़ा माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्रमांक 300/रीडर/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-गौरगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
352	0.04
355	0.06
357	0.04
356	0.14
363	0.06
364	0.06
365	1.02
370	0.06
योग	1.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्रमांक 305/1/अ-82/2002-2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दोड़दे, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22	0.108
125	0.113
72	0.136
136	0.054
133	0.035
120/1	0.315
120/1	0.072
135	0.054
110	0.234
134	0.043
102	0.144
119	0.374
119	0.108
117	0.208
14	0.300
115/1	0.240
113	0.048
103	0.738
योग	3.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दोड़दे जलाशय नहर नाली निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) भानु.पुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 573/रीडर/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर
  (ख) तहसील-पखांजूर
  (ग) नगर/ग्राम-हरिहरपुर/योगेन्द्र नगर, प. ह. नं. 12
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.84
3	0.125
351	0.140
579	0.128
350	0.083
347	0.206
345	0.106
372	0.154
373	0.094
421	0.008
374	0.028
422	0.011
425	0.048
419	0.061
418	0.028
417	0.057
415	0.155
412	0.215
430	0.095
564	0.143
562	0.254
576	0.124
580	0.044
578	0.146
605	0.021
883	0.221
884	0.093
885	0.037
886	0.037
887	0.042
888	0.047
889	0.047
890	0.049
891	0.043
892	0.058
893	0.048
894	0.054
895	0.054
896	0.054
896	0.046
163	0.175
164	0.302
212	0.009
165	0.171
166	0.129
योग 46	4.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लघु सिंचाई योजना हेतु केनाल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 7 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कबीरधाम
(ग) नगर/ग्राम-भैसबोड़, प. ह. नं. 47
(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.66 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	3.37
4	5.25
8	4.37
10	5.66
12	1.89
11	1.98
14/1	5.07
14/2	1.26
18	3.04
19	4.77
योग 10	36.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2003

प्र. क्र. 8 अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कबीरधाम
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-46.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
11	1.50
91	0.78
13/2	1.45
14	8.68
44	2.16
16	1.30
17	1.45
18	1.09
20	0.04
39	1.64
41/3, 41/6, 41/7	3.00
41/2	1.50
42	4.61
43/1	3.26
43/2	3.26
45	1.16
89	3.35
87	2.58
92	0.32
88/1	1.50
88/2	1.50
71/4	0.15
71/6	0.15
72	0.02
90/5	0.37
90/6	0.03
योग 26	46.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयलारी जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 9 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कबीरधाम

(ग) नगर/ग्राम-कोयलारी, प. ह. नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
327	3.29
324	0.13
325	1.12
345	1.32
346/1	0.40
योग 5	6.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयलारी जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 10 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कबीरधाम

(ग) नगर/ग्राम-छीरपानी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5/2	1.50
61/2	1.00
14	2.45
52	2.75
55/3	1.49
61/3	1.14
70	3.70
योग 7	14.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीरपानी परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 11 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कबीरधाम

(ग) नगर/ग्राम-बामी, प. ह. नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
188/2	0.23
140/2	0.78
188/1	0.84
187/2	0.84
187/1	0.21
187/6	0.18
187/8	0.31
185	0.11
142	0.18
148	0.41
12	0.60
14	0.43
59	0.07
147	0.06
15/1	0.78
58	0.38
16/2	0.16
16/1	0.17
26/1	0.86
140/3	0.51
26/2	1.08
26/3	0.81
140/1	0.57
167	0.01
151	0.43
153/1	0.04
166/1	0.08
166/2	0.41
157/23	0.84
165	0.09
149/1	0.43
152/2	0.03
264/1	0.34
264/2	0.27
140/6	0.64
139	1.45
योग 36	15.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिल्हाटी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 1 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कबीरधाम
- (ग) नगर/ग्राम-छुई, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-31.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
64	0.39
77	0.99
172	1.47
216	0.11
210/2	0.54
72	1.50
169	0.59
260	0.90
77	0.12
64	0.20
175	0.60
173	4.82
199	1.50
206	2.10
216	0.85
172	7.68
216	1.54
210/2	1.02
77	0.12
81	0.03
80	0.21
82	0.31

(1)	(2)
83	0.06
84	0.01
95	0.10
91	0.21
92	0.43
146	0.07
97	0.18
108	0.02
109	0.25
135	0.48
110	1.02
147	0.02
125	0.69
124	0.45
111	0.02
योग 37	31.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुई जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 2 अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कबीरधाम
- (ग) नगर/ग्राम-समनापुर, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.81 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14/2, 16/2, 17/2, 18/2	0.05
14/1	0.05
18/4, 19/1 स	0.17
18/4, 19/1 ब	0.17
18/4, 19/1 द	0.17
18/4, 19/1 अ	0.18
26/2	0.17
26/1	0.17
15/1, 16/1 ग	0.17
17/1, 18/1 स	0.17
15/1, 16/1, 17/1, 18/1, ब	1.17
15/1, 16/1, 17/1, 18/1 ह	0.10
12/2, 19/2, 19/3, 20/2, 21/1 12/4, 19/10, 20/4, 21/4, 21/8	0.18
12/1, 19/6, 20/3, 21/4 12/8, 19/11, 20/8, 21/9	0.17
12/4, 19/7, 20/4, 20/5 12/9, 19/12, 20/9, 21/10	0.17
12/5, 19/8, 20/5, 21/6	0.17
78/2	0.41
76/4, 5	0.41
75/1/ 73/3	0.62
61/1, 75/3	0.48
60/1, 2	0.21
59/1	0.21
81	0.63
82/2, 83/1	0.55
87/1, 89/2	0.17
87/3, 89/4	0.17
87/4, 89/5	0.17
87/2, 89/3	0.17
88/1, 92/5, 93/2	0.34
88/4, 92/12, 93/4	0.34
88/5, 92/13, 93/5	0.34
91/2, 91/3, 110/4, 91/8 92/14, 110/23, 92/2, 92/8, 110/3	1.08
91/5, 92/11, 110/20 91/10, 92/16, 110/26	0.54

(1)	(2)
91/6, 92/12, 110/21, 91/9	0.54
92/15, 110/24, 92/18,	
110/14, 92/21	
110/10, 110/11	0.13
110/12	0.34
110/9, 110/13, 113/1	0.70
योग 36	11.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समगापुर जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीर-धाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 27 मई 2003

प्र. क्र. 6 अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कबीरधाम
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-387.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2	5.00
32/2	4.07
99/2	0.90
1/3	1.90
18/5	1.95
116/1	1.00
3/1	2.05
4/1	0.80
29/1	0.41
48/1	1.06
52/1	1.71
66/1	0.27
3/2	2.31
4/2	0.80
29/2	0.27
66/6	0.28
35/1	2.67
34/1	2.88
3/3	2.16
4/3	0.80
28/1	0.33
48/2	1.07
52/2	1.71
66/7	0.27
3/4	2.12
4/4	0.80
28/4	0.33
48/3	1.07
53/3	1.70
66/8	0.28
7	1.20
3/5	2.30
4/5	0.80
29/3	0.27
66/9	0.27
35/2	2.66
23	1.56
66/4	0.58
5	5.20
6	9.86
71	9.66
8	1.52
9	6.30
10	4.24
11	5.44

(1)	(2)	(1)	(2)
12	14.36	50	0.42
22	2.67	69/2	4.00
16	7.98	55	2.18
31	17.37	65/1	0.13
60	0.50	65/2	0.02
64	0.14	66/3	0.20
17	5.54	66/2	0.36
18/1	2.00	66/5	1.50
18/2	1.00	121/1	1.68
87/1	0.11	117	16.60
18/3	5.00	67	0.72
18/4	5.00	70/1	1.30
18/6	5.00	75/1	0.36
18/7	2.00	87/3	0.11
18/8	2.00	100/1	0.54
18/9	2.00	100/3	1.18
18/10	2.00	102	2.00
69/3	0.25	104	1.35
18/11	1.50	103	4.59
61	0.16	69/1	4.72
98/3	0.25	70/2	0.50
99/3	0.50	72	7.05
18/12	0.50	105	7.90
24	1.65	120	2.90
27	4.05	75/2	2.18
28/2	2.63	100/5	1.00
54	3.03	76	2.33
112/1	1.36	77	4.98
25	6.06	78/1	3.71
56	0.72	112/6	1.35
57	1.00	78/2	4.00
96	1.44	84/2	0.02
28/3	3.16	84/3	0.04
107	7.73	87/2	0.12
109	3.05	112/2	1.67
30	4.86	112/4	1.05
39	3.18	90	5.82
32/1	3.65	92/1	0.30
34/2	1.35	92/2	0.20
32/3	4.60	92/3	0.70
33	4.23	101/1	0.30
43	5.69	101/5	0.78

(1)	(2)
92/4	1.00
92/5	0.90
92/6	0.30
101/7	1.92
92/7	3.25
101/10	1.75
94	1.18
114	3.54
116/2	5.10
98/1	0.25
98/4	1.00
98/5	0.50
98/2	0.50
99/1	4.28
100/4	0.64
101/2	1.90
101/3	2.00
101/4	0.03
101/4	0.03
101/6	0.33
106/1	4.00
101/9	0.20
101/8	0.69
112/5	1.36
106/2	7.48
111	9.86
112/3	1.36
121/2	1.68
100/2	1.26
योग	387.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कबीर-धाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राज्य शासन के आदेश

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2003

क्रमांक 1682/F 73-141/HE/03.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "ली मैग्नस यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "ली मैग्नस यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 9th April 2003

No. 1682/F 73-141/HE/03.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Le Magnus University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises " Le Magnus University, Raipur ", to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2001

क्रमांक 1198/मा.चि./2003--खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के अंतर्गत रिकोनेंस परमिट पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु, छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टाधारी का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	खनि-पट्टा							
1.	मे. अर्चना पाटरीज इंडस्ट्रियल एरिया, राजनांदगांव.	रेंगाकठेरा	डोंगरगढ़	980,981 978,979	4.98 0.75 0.08 0.14	व्हाईटपले	शासकीय भूमि	खनि पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण.
	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति							
2.	श्री संजीव पांडे, दुर्ग	उपरवाह	राजनांदगांव	1513	5.00	क्रार्टजाईट	,,	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने के कारण.
3.	श्री देशलहरा मिनरल्स, दुर्ग.	बिहावबोड़	,,	73	12.00	,,	,,	,,
4.	रजत मिनरल्स पो. अनिल देशलहरा, दुर्ग.	झूराडबरी	,,	174	9.80	,,	,,	,,
5.	,,	,,	,,	672 161	17.00 1.20	,,	,,	,,
6.	श्री उदय पारख, राजनांदगांव.	मक्के	अं. चौकी	13	28.00	सरपेन्टाईन	,,	,,
7.	श्री गौतमचंद डाकलिया.	बिहावबोड़	राजनांदगांव	130	17.75	क्वार्टजाईट सिलिकासेन्ड	,,	,,

टीप :— वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा.

राज़नांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2001

क्रमांक 1198/मा.चि./2003—म. प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाली चूने के विनिर्माण के लिये भट्टी में डालकर, उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर, उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदारों का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्रीमती मन्जू अरोरा	पचपेड़ी	खैरागढ़	96	0.74	चूनापत्थर	भूमि स्वकर्म	अवधि समाप्त होने के कारण.
2.	श्री संतोष कुमार लोहानी.	मुढ़ीपार	राजनांदगांव	187/2	4.65	"	शासकीय	"
3.	हर्षद बेलावाला	जोरातराई	राजनांदगांव	36 से 41 42/2 43/2 44/2 45 46/2 50/2 51/2	3.00	"	भूमि स्वामी	"

टीप :— वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा.

राजनांदगांव, दिनांक 11 जून 2003

क्रमांक 2180/मा.चि./2003—खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के अंतर्गत रिकोनेंस परमिट पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टाधारी का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति							
1.	श्री एन. के. अग्रवाल सा. राजनांदगांव.	चारभाठा प.ह.नं. 07	राजनांदगांव	813	11.00	चूनापत्थर	भूमि स्वामी	खनि पट्टा आवेदन पत्र हनिरस्त होने के कारण.
				775	0.90		शासकीय भूमि.	
				776	1.57		,,	
			ब्लाक 1		13.47 एकड़			
			ब्लाक 2	311	8.54	,,	निजी भूमि	
			ब्लाक 3	789	7.21	,,	,,	
				कुल योग	29.22 एकड़			

नोट :— भूमि स्वामी एवं वन विभाग की सहमति प्राप्त करना होगा.

दिनेश श्रीवास्तव,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक क/ख. लि./2003/659.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत खनिज के लिये सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने पश्चात् व आवेदित खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	धनसुली	79	आरंग	740, 745	1-82 एकड़	श्री कैलाश बजाज वल्द श्री चैतनदास निवासी फाफाडीह, रायपुर के नाम पर दिनांक 22-12-92 से 21-12-2002 तक चूना पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृत रहा. लीज अवधि समाप्त होने पर स्वमेव लीज निरस्त हो गया.

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा, (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जुलाई 2003

क्रमांक 9470/खनि./2003.—म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	भूमि का विवरण (8)
1.	जांजगीर-चांपा.	जांजगीर	मौहाडीह	99	1.295 हे.	चूना पत्थर	शासकीय
2.	जांजगीर-चांपा.	जांजगीर	मौहाडीह	98/1	2.023 हे.	चूना पत्थर	शासकीय

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जुलाई 2003

क्रमांक 9591/खनि./2003.—म. प्र. खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	रकबा (5)	खनिज (6)	भूमि का विवरण (7)
1.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कोटमी सोनार	122.602 हे.	डोलोमाइट	शासकीय

सही/-
कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 2084/खनि/पू.अनु./95—जिला बिलासपुर की तहसील बिल्हा के ग्राम हिर्री के ख. नं. 141/1 क पर आवेदित खनि पट्टा खनिज डोलोमाइट के निरस्त होने के फलस्वरूप खनिज रियायत नियमावली-1960 के नियम-59 के अंतर्गत निम्नांकित क्षेत्र को पुन: अनुदानार्थ खुला घोषित किया जाता है.

खुला घोषित किये जाने वाले क्षेत्र के विवरण हेतु अनुसूची निम्नांकित है :—

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	प.ह.नं. (4)	ग्राम (5)	ख. नं. (6)	रकबा (7)	रिमार्क (8)
1.	बिलासपुर	बिल्हा	7	हिर्री	141/1 क	5.00 एकड़	श्री शेख असलम बिलासपुर द्वारा ग्राम हिर्री तह. बिल्हा के ख. नं. 141/1 क के रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र पर खनि पट्टा आवेदन-पत्र खनिज डोलोमाइट हेतु दिनांक 17-9-2001 के आवेदित खनि पट्टा निरस्त होने के कारण क्षेत्र अनुदानार्थ खुला घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित है.

कृपया अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र की इस विज्ञप्ति को राज्य शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिवस के पश्चात् उक्त क्षेत्र खनि रियायत हेतु उपलब्ध होगा.

आर. पी. मण्डल,
कलेक्टर.